


नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल)।  
आबंटन शरायते-ठेका कैंन्टीन मिनी ट्रांसपोर्टनगर में दुकानों के  
दक्षिणी किनारे पर निर्मित कैंन्टीन  
वित्तीय वर्ष (2024-26)

1. ठेके की अवधि, 01-04-2024 से 31 मार्च 2026 तक होगी।
2. कोटेशन के साथ काटेशनदाता व्यक्ति/संस्था/फर्म को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य होंगे।
  - आधार कार्ड
  - पैन कार्ड
  - राशन कार्ड या ऐसा वैध दस्तावेज जो पारिवारिक सदस्यों की पुष्टि करता हों।
  - सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी) जो 06 माह से अधिक पुराना न हो।
  - कोटेशन धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) के 10 प्रतिशत का अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद रामनगर के नाम से देय एफ0डी0आर0 (मूल रूप में) जमानत धनराशि के रूप में।
  - कोटेशन धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) के साथ 50 प्रतिशत धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट (मूल रूप में) अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद रामनगर के नाम से देय हो।
  - कोटेशनदाता को नगरपालिका रामनगर द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. ठेका स्वीकृत होने की दशा में सफल कोटेशनदाता को 07 दिवस के भीतर कुल स्वीकृत निविदा धनराशि का 1/2 भाग व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 धनराशि सहित पालिका कोष में जमा करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
4. ठेके की शेष धनराशि 31 दिसम्बर 2024 एवं 31 जुलाई 2025 को दो समान किस्तों में जमा करना आवश्यक होगा। इस हेतु ठेकेदार द्वारा 02 (दो) POST DATED CHEQUE नगरपालिका कार्यालय में जमा कराये जाने अनिवार्य होंगे जिन्हें किस्त जमा न होने की स्थिति में पालिका कोष में जमा कराया जा सकेगा तथा जमा कराये गये चैको का अनादर (चैक बाउन्स) होने की स्थिति में ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
5. उच्चतम निविदादाता/कोटेशनदाता को ठेका स्वीकृत होने के 07 दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 02 प्रतिशत) नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार को वसूली आदेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश पत्र सं0-375/म0निनि0/2012-13 दिनांक 13 जुलाई 2012 के अन्तर्गत ठेके की राशि के 02 प्रतिशत की दर से देय होगा।
6. ठेकेदार को ठेका किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

  
T 2




7. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में नीलामी की शर्तें भी अनुबन्ध का भाग होगी और किसी भी शर्त का उल्लंघन होने या ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर ठेका निरस्त कर उक्त शर्तों के अधीन आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
8. ठेके सम्बन्धी समस्त प्रकार के करों/देयकों के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का होगा।
9. ठेकेदार को मा0 न्यायालय/शासन/प्रशासक/अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगरपालिका रामनगर द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी भी ठेके में बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक की पावर ऑफ अटार्नी रजिस्ट्री विभाग में पंजीकृत न हो।
11. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा तथा सक्षम अधिकारी से लाईसेन्स प्राप्त करना होगा। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जाँच अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के की जा सकेगी।
12. कैन्टीन में मादक पदार्थों की बिक्री व सेवन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा उल्लंघन करने की दशा में ठेका निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
13. ठेकेदार द्वारा खाद्य सामग्री के अपशिष्ट पदार्थ व किसी अन्य प्रकार से कोई गन्दगी नहीं फलाई जायेगी।
14. विद्युत मूल्य एवं जल मूल्य का भुगतान ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।
15. कैन्टीन की छत का उपयोग नगरपालिका परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार होगा। कैन्टीन की छत से ठेकेदार को कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
16. स्वीकृत निविदादाता के कर्मचारियों को कोविड-19 के दृष्टिगत निम्न सावधानियाँ अपनाया जाना अनिवार्य होगा:-
  1. सैनेटाइजर, मास्क ग्लब्स, फेस शील्ड आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
  2. सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
  3. सभी कार्मिक प्राप्त धनराशि को पृथक् बैग में रखना सुनिश्चित करेंगे।
  4. समय-समय पर साबुन/हैण्डवाश से हाथ धोते रहेंगे।
17. नगरपालिका परिषद, रामनगर के किसी भी कर व शुल्क के बकायेदार एवं उसके पारिवारिक सदस्यों को (राशन कार्ड में उल्लिखित) ठेके में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
18. ठेका स्वीकृत एवं अनुबन्ध होने के पश्चात् ठेकेदार को ठेके का कब्जा व वसूली हेतु आदेश दिया जाएगा।
19. ठेके के संचालन के सम्बन्ध में पालिका के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नियमों के अन्तर्गत दिए गए आदेशों/निर्देशों का ठेकेदार को पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
20. ठेकेदार को ठेके की अवधि समाप्त होने के दिनांक 31-03-2026 को ठेके का दखल पालिका को देना होगा, अन्यथा ठेके का दखल पालिका स्वयं ले लेगी और इस पर आने वाला खर्च भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जाएगा।
21. स्वीकृत ठेकेदार को खाद्य सामग्री की दरों की एक सूची कैन्टीन के बाहर अनिवार्य रूप से चस्पा करनी होगी।
22. ठेके की धनराशि जमा न करने पर सम्बन्धित उच्चतम कोटेशनदाता द्वारा पूर्व में कोटेशन के साथ संलग्न जमानत की धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया


*Sum*  
T-1.


*Sum*



- जाएगा तथा ठेके की पुनः नीलाम किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।  
ठेकेदार को इसमें आपत्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।
23. दैवीय आपदा या महामारी एवं अन्य कारणों को आधार बनाकर ठेके की धनराशि में छूट चाहने संबंधी क्षतिपूर्ति दावे/प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
  24. ठेका बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रशासक/अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद का होगा।
  25. किसी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार रामनगर क्षेत्रान्तर्गत सक्षम न्यायालय में निहित होगा।
  26. ठेके की उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा तथा ठेके की किसी भी प्रकार की बकाया व क्षतिपूर्ति की धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल की जाएगी।
  27. आवंटन प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होगी, जिसके प्रथम चरण में कोटेशन आमंत्रित किये जायेंगे तथा द्वितीय चरण में प्राप्त उच्चतम कोटेशनदाताओं (अधिकतम पाँच) के मध्य कोटेशन खोले जाने की तिथि को बोली लगाकर, उच्चतम बोली के आधार पर ठेकों का आवंटन किया जायेगा।
  28. ठेके की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रथम बार ₹0 5000=00 (पाँच हजार ₹0) दूसरी बार में 10,000=00 (दस हजार ₹0) जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। यदि पुनः ठेका किये जाने पर कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से भू-राजस्व वसूली की भाँति की जायेगी, जिसके समस्त हर्जे-खर्चे का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

  
कर एवं राजस्व निरीक्षक  
नगरपालिका परिषद, रामनगर

  
अधिशायी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद, रामनगर

  
प्रभारी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद, रामनगर